(ब) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में राज्य की बंजर भूमि को जोत योग्य क्षेत्र में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) बंजर भूमि का पता लगाने के लिये कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में 8.061 मिलियन हैक्टेयर बंजर भूमि है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1990-91 से लेकर 1992-93 तक 0.150 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र पर वनरोपण किया गया है और 97.83 करोड़ पौधों का वितरण निजी भूमि पर रोपण हेतु किया गया है । 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या-16 के अंतर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण का वार्षिक लक्ष्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पास निधियों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किया जाता है । वर्ष 1993-94 के लिये वनरोपण/वृक्षारोपण हेतु 85,000 हैक्टेयर क्षेत्र तथा निजी भूमि पर रोपण हेतु 32 करोड़ पौधों के वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभापटल पर रख दिया जाएगा ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को खेती के लिये भूमि का वितरण

3287. श्री राधा किशन मालवीय : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को खेती के लिए भूमि वितरित करके उनकी दशा सुधारने का कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) राज्य/संघशासित क्षेत्र भूमि सुधार कार्यक्रम के भाग के रूप में अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अंतर्गत फालतू घोषीत भूमि को भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को वितरित कर रहे हैं । फालतू भूमि का वितरण करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है ।

मार्च, 1993 तक 48.58 लाख लाभार्थियों को 50.39 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है जिसमें से 17.51 लाख अनुसूचित जातियों के लोगों को 17.48 लाख एकड़ भूमि और 6.92 लाख अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 7.03 लाख एकड़ भूमि आबंटित की गई है । चालू वर्ष के दौरान फालतू भूमि के वितरण के कार्यक्रम के अंतर्गत 6.39 लाख एकड़ भूमि (अनन्तिम) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त 23.27 लाख एकड़ भूदान भूमि और 127.39 लाख एकड़ सरकारी बंजर भूमि का भी वितरण किया गया है ।

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के आबंटितियों को साधारण भूमि विकास, दो फसल मौसमों के लिए निवेश और तत्काल खपत जरूरतों जैसे प्रयोजनों के लिए 2500 रुपये प्रति हैक्टयर की दर से वित्तीय सहायता भी दी जाती है । मार्च, 1993 तक, इस प्रयोजन के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को 5972.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है ।

Allocation made to Maharashtra for Rural Development Schemes

3288. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the allocations made to Maharashtra for each of the rural development schemes during the Eighth Five Year Plan period ;

(b) whether this allocation is less as compared to the Sixth and Seventh Five Year Plans ; and

(c) if so, the details thereof including the reasons for less allocations made ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL) : (a) The allocation to the States including Maharashtra for various rural development schemes during Eighth Five Year Plan period are being finalised. However, the allocations made for Maharashtra during the first two years, i.e. 1992-93 and 1993-94 of the Eighth Five Year Plan period in respect of major rural development schemes, viz. (i) Integrated Rural Development Programme (IRDP) ; (ii) Jawahar Rozgar Yojana (JRY) ; and (iii) Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) are as under :—